

BNSS-329, कब वैज्ञानिक विशेषज्ञों की साक्ष्य रिपोर्ट सबूत के रूप में पेश होगी जानिए

जब कोई खाद-पदार्थ में मिलावट का मामला सामने आता है या किसी विस्फोटक सामग्री में जैसे दीवाली के फटाके,रस्सी बम आदि में तब पुलिस अधिकारी जैसे बहुत से पदार्थों एवं खतरनाक सामग्रियों को जब्त कर लेते हैं और इनकी जांच के लिए विशेषज्ञों के पास भेज दिया जाता है तब कौन से वैज्ञानिक विशेषज्ञ इनकी जांच करेंगे एवं अपनी जांच रिपोर्ट साक्ष्य के रूप में कैसे प्रस्तुत करेंगे जानिए।



युवा प्रदेश समाचार पत्र
- लेखक बीआर
अहिरवार(एडवोकेट एवं
विधिक सलाहकार
होशंगाबाद) 9827737665

भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 329 की परिभाषा?

1. कोई दस्तावेज जो किसी सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञ के पास किसी पदार्थ, सामग्री, वस्तु की जांच या सत्यापन के लिए दिया गया है तब वह रिपोर्ट को वैज्ञानिक स्वहस्ताक्षरित कर न्यायालय को जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के समय साक्ष्य के रूप में देगा।

2. अगर न्यायालय को लगता है की वह जांच करने वाले वैज्ञानिक को रिपोर्ट की विषयवस्तु समझने के लिए न्यायालय बुलाना आवश्यक है तो वह समन जारी कर सरकारी वैज्ञानिक को न्यायालय बुला सकता है।

3. लेकिन अगर जिस वैज्ञानिक को न्यायालय ने समन जारी कर बुलाया है अगर वह किसी कारणवश आने में असमर्थ है तब वह वैज्ञानिक ऐसे वैज्ञानिक विशेषज्ञ को न्यायालय भेज सकता है जिसे उस मामले के तथ्यों का ज्ञान हो एवं उसका साक्ष्य न्यायालय में मान्य होगा।

4. यह धारा निम्न सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों पर लागू होती है जानिए-

(क). सरकार का कोई भी रासायनिक परीक्षक या सहायक रासायनिक परीक्षक।

(ख). सरकारी मुख्य विस्फोटक नियंत्रक।

(ग). अंगुली-छाप कार्यालय निदेशक।

(घ). निदेशक, हफकीन संस्थान, मुम्बई।

(ड). कोई भी केंद्रीय न्याय संबंधी विज्ञान प्रयोगशाला या कोई राज्य न्याय संबंधी विज्ञान प्रयोगशाला का निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक।

(च). सरकारी सीरभ विज्ञानी।

(छ). कोई भी अन्य सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञ जो इस प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा सूचना के माध्यम से विनिर्दिष्ट (अनुज्ञप्ति) किया गया हो।

Terror Attack: पहलगाम हमले के बाद अब तक कब और क्या-क्या हुआ, कहा-कहां अलर्ट, कैसे हो रही जवाब देने की तैयारी



नई दिल्ली। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। पहले बिगड़े रिश्ते अब पूरी तरह खत्म होने की कगार पर हैं। इस बीच नियंत्रण रेखा पर कुछ स्थानों पर पाकिस्तानी सेना की ओर से फायरिंग की गई। भारतीय सेना ने इसका प्रभावी ढंग से जवाब दिया। आए जानते हैं हमले के बाद से अब तक भारत ने क्या-क्या किया, कब और कहां जवाबी फैसले

लिए गए, कौन-कौन भारत के निशाने पर है और कैसे भारत जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। पहलगाम हमले के बाद जहां पाकिस्तान और भारत दोनों ओर यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि आतंकवादियों पर भारत का जवाबी हमला किस तरह का होगा, वहीं भारतीय नौसेना और वायुसेना की अचानक तेज हुई गतिविधियों ने इन अटकलों को और हवा दे दी। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक केंद्र

सरकार, पाकिस्तान के साथ सीमा पर लागू युद्धविराम समझौते को भी रद्द करने की घोषणा कर सकती है। भारतीय नौसेना ने पश्चिमी समुद्री क्षेत्र (अरब सागर) में गाइडेड मिसाइल विध्वंसक पोत आईएनएस सूरत से मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। वहीं, बृहस्पतिवार को ही वायुसेना ने मध्यक्षेत्र में राफेल और सुखोई-30 जंगी जहाजों के साथ युद्धाभ्यास 'आक्रमण' शुरू किया है। इसके तहत पहाड़ी और जमीनी लक्ष्यों पर हवाई हमलों का अभ्यास किया जा रहा है। सूत्रों ने बताया कि पूर्वी सेक्टर से वायुसेना के उपकरणों के सेंट्रल सेक्टर के लिए रवाना किया गया है। इस युद्धाभ्यास में पायलट असली युद्धक परिस्थितियों में अभ्यास कर रहे हैं जिससे जंग के हालात का अनुभव हासिल हो सके।

नरवाई जलाई तो नहीं मिलेगा सीएम किसान कल्याण योजना का लाभ, एमएसपी पर फसल उपार्जन भी नहीं करेंगे: मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश कृषि आधारित राज्य है। फसल कटाई के बाद खेतों में नरवाई जलाने के मामलों में वृद्धि होने से वायु प्रदूषण सहित कई प्रकार से पर्यावरण को बेहद



नुकसान हो रहा है। खेत में आग लगाने से जमीन में उपलब्ध पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं और भूमि की उर्वरक क्षमता में भी गिरावट आती है। इसके निदान के लिये राज्य सरकार पहले ही नरवाई जलाने को प्रतिबंधित कर चुकी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इसके बाद भी यदि कोई किसान अपने खेत में नरवाई जलाता है तो उसे मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।

बिजली कार्मिक स्थानान्तरण के लिये करें ऑनलाइन आवेदन

भोपाल। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कर्मचारियों (नियमित/संवैदा) के सेवा संबंधी मामलों में विस्तार करते हुए कार्मिकों के स्वयं के व्यय पर स्थानान्तरण की सुविधा को और अधिक सरल बनाते हुए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध कराई है। कंपनी ने अपने कार्य क्षेत्र के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों एवं लाइन स्टाफ को स्वयं अथवा परिवार में किसी सदस्य की गंभीर बीमारी, पति/पत्नी के शासकीय सेवा में अन्यत्र स्थान पर कार्यरत होने पर/शासकीय अनुदान प्राप्त संस्था में कार्यरत होने पर आपसी स्थानान्तरण तथा अन्य कारणों से उनके स्वयं के व्यय पर स्थानान्तरण के लिये ऑनलाइन आवेदन की सुविधा प्रदान की है।

BNSS- 328, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस के अधिकारी कब न्यायालय में अपने साक्ष्य प्रस्तुत करेगा जानिए

न्यायालय को जब कभी कोई रुपये बनाने वाले कारखाने, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस, स्टाम्प या लेखन सामग्री नियंत्रक कार्यालय के अधिकारी द्वारा कोई साक्ष्य मंगवाया जाते हैं या अधिकारी को गवाही के लिए बुलवाना भी आवश्यक होगा तो तब न्यायालय किस प्रकार की कार्यवाही को करेगा जानिए।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

की धारा 328 की परिभाषा?

1. कोई भी दस्तावेज जो रुपया छपाई कारखाने, किसी सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस, स्टाम्प छपाई कार्यालय के प्रश्नगत दस्तावेज को साक्ष्य के रूप में जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के लिए न्यायालय में केंद्रीय सरकार की सूचना द्वारा बुलाया जा सकता है एवं उक्त कार्यालय के प्रभारी अधिकारियों को

बुलाना आवश्यक नहीं होगा।

2. यदि न्यायालय ठीक समझता तो वह ऐसे अधिकारी को समन जारी कर उसकी जांच रिपोर्ट की विषयवस्तु की परीक्षा करवा सकता है।

3. ऐसा कोई जांच अधिकारी न्यायालय में आने से पहले अपने कार्यालय के महाप्रबंधक, किसी भारसाधक अधिकारी, विभाग के सरकारी परीक्षक, राज्य परीक्षक

की आज्ञा के बिना-

(क) कोई भी शासकीय दस्तावेज जिन पर साक्ष्य रिपोर्ट आधारित हैं नहीं देगा।

(ख) किसी भी सामग्री या वस्तु की परीक्षा के दौरान परीक्षण को प्रकट करने के लिए अनुज्ञात नहीं करेगा।

?? लेखक बीआर

अहिरवार(पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)

धरमपूरा स्थित राकसमुंडा तालाब की होंगी जांच

● गुरु गोविंद सिंह वार्ड में नजूल जमीन होंगे मुक्त, ● तहसीलदार से वार्ड वासियों ने की पट्टे की मांग

रजत डे जगदलपुर बस्तर

जगदलपुर। तालाब कब्जा एक गंभीर समस्या है जो जगदलपुर में देखी जा रही है। इससे न केवल जल संसाधन प्रभावित होते हैं बल्कि लोगों के जीवन पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तालाबों पर अवैध कब्जे को रोकने के लिए कानूनी उपाय उपलब्ध है लेकिन इस समस्या से निपटने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

राकसमुंडा तालाब किसी व्यक्ति द्वारा सरकारी तालाब पर अवैध रूप से कब्जा होने की बात कही जा रही है। गुरु गोविंद सिंह वार्ड में स्थित राकसमुंडा तालाब सालों से किसी व्यक्ति द्वारा कब्जा किया हुआ है इस बात को वार्ड वासी एवं पटेल पुजारी भी जानते हैं। वार्ड वासियों की शिकायत पर पार्षद संग्राम सिंह राणा, तहसीलदार रूपेश कुमार मरकाम एवं पटवारी बी.आर. पोरते



की उपस्थिति में स्थल का निरीक्षण किया गया। तहसीलदार मरकाम ने कहा वार्ड वासियों के शिकायत पर स्थल का निरीक्षण किया गया है पुराने रिकॉर्ड निकला जाएगा। मैं जल्द टीम गठित कर रहा हूं जिसमें आरआई, पटवारी, नजूल शाखा के अधिकारी गण स्थल निरीक्षण कर मुझे अवगत कराएं। तालाब गांव की रहेगी तो

उसे मुक्त किया जायेगा। उस जगह में जितने भी नजूल की जमीन निकलेंगे उसे भी मुक्त किया जाएगा।

पार्षद संग्राम सिंह राणा ने कहा प्रशासन अपना काम कर रहा है। तहसीलदार स्वयं इस पर संज्ञान लिए हैं। तालाबो पर अवैध कब्जे को रोकने के लिए कानूनी उपाय उपलब्ध है। प्रशासन समुदाय और सभी

लोगों को मिलकर इस समस्या से निपटने के लिए काम करना चाहिए। वार्ड वासियों ने रहने के लिए पट्टे की भी मांग की है, तहसीलदार ने जल्द निराकरण करने की बात कही है। इस अवसर पर तेज सिंह ठाकुर, प्रभांश गुप्ता, कन्हैया गुप्ता, भोलू, सालिक राम गुप्ता, जयंती डे सहित वार्ड वासी उपस्थित थे।

डबल मनी व नाबालिक बालिका के अपहरण का आरोपी दुर्गेश रायपुर से गिरफ्तार

ज्ञानचन्द्रशर्मा/बालाघाट। जिला पुलिस अधीक्षक नगेंद्रसिंह ने बहुचर्चित डबल मनी के प्रकरणों के शीघ्र निराकरण हेतु एस आई टी का गठन कर फरार आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बैहर आदर्शकांत शुक्ला (भापुसे) एवम् एसडीओपी लांजी ओमप्रकाश (भापुसे) के मार्गदर्शन में थाना किरनापुर पुलिस द्वारा 03 वर्षों से फरार आरोपी को रायपुर से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। थाना किरनापुर में पंजीबद्ध अपराध क्र.151/22 धारा 420, आईपीसी 21(1), 21(2), 23(3) बडस एक्ट में आरोपी दुर्गेश तिड के पिछले 3 वर्षों से फरार चल रहा था। इसके अतिरिक्त थाना किरनापुर में पंजीबद्ध 17 वर्षीय नाबालिक लड़की के अपहरण के प्रकरण में आरोपी की संलिप्तता थी। जिसे तकनीकी विश्लेषण एवम मुखबीर की सूचना पर रायपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी से विस्तृत पूछताछ उपरांत आज सोमवार को माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। पिछले वर्ष 29 जुलाई को किन्ही ग्राम से नाबालिक लड़की बिना बताए अपने घर से चली गई थी। जिस पर थाना किरनापुर में अपराध क्र.315/24 धारा 137(2) भारतीय न्याय संहिता पंजीबद्ध किया गया था। उक्त अपराध की नाबालिक बालिका को भी आरोपी के कब्जे से दस्तयाब कर लिया गया है। नाबालिक लड़की की दस्तयाबी हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 3 हजार के इनाम की उद्घोषणा की गई थी। गिरफ्तार आरोपी दुर्गेश तिड के पिता राजेंद्र तिड के उम्र 25 वर्ष ग्राम छिंदीकुआ का निवासी है। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी अशोक ननामा, उनि.अमित अग्रवाल, महिला आरक्षक अर्पणा बघेल, आरक्षक विष्णु, आरक्षक विवेक तिवारी, आरक्षक प्रदीप, आरक्षक जय भगत की सराहनीय भूमिका रही।

ग्राम पंचायत पोड़ी में बाबा साहब की 134वीं जयंती पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का हुआ आयोजन



कैलाश कुमार -सह संपादक (युवा प्रदेश)

शहडोल/पोड़ी - भारतीय संविधान के निर्माता, वंचितों के महीसा भारत रत्न भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती को बड़े ही धूमधाम और सामाजिक जागरूकता के साथ मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में एक विशाल जन आंदोलन जो कि रैली के रूप में पोड़ी पंचायत के मुख्य मार्गों से होकर पोड़ी के ही मैदान पर समाप्त हुआ एवं जनसभा का जिला स्तरीय आयोजन किया गया था इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सामाजिक एकता, संविधान के मूल्यों की रक्षा और बाबा साहब के विचारों का प्रसार करना था सभी अंबेडकरवादी अनुयायियों एवं संविधान में आस्था रखने वाले नागरिकों ने इस कार्यक्रम में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिये। 20/04/2025 के दिन हो रहे इस कार्यक्रम में सामाजिक



समरसता, आरक्षण सुरक्षा, शिक्षा, समानता एवं अधिकारों जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। आयोजकों द्वारा सभी सामाजिक बंधुओं से अनुरोध किया गया था कि वे अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर इस



आयोजन को सफल बनाया गया और उनके द्वारा बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की गयी साथ ही अपील भी की गई कि सभी कार्यकर्ता, समाजसेवी चल रहे इस कार्यक्रम को सफल बनायें। सभी वरिष्ठ

एवं सभी युवा इस कार्यक्रम में बाबा साहब के विचोरो को समझे और उस पर चलें। कार्यक्रम के मुख्य सहयोगियों में नाम है कार्यक्रम सयोजक - मनीष अहिरवार, (सरपंच पोड़ी) हरि हर सिंह, धर्मेन्द्र अहिरवार, रामकुमार अहिरवार, कुबेर अहिरवार, रामकेश बंसल, सुनील अहिरवार, दीपक अहिरवार, भगवान दास, सुरेंद्र अहिरवार, जीतेंद्र अहिरवार, कमल अहिरवार, खेमराज अहिरवा, श्री प्रसाद बैगा, कैलाश अहिरवार, जगत नारायण सिंह, राम सेवक सिंह, रमा कांत अहिरवार, सतीश अहिरवार, सकीम खान, बाल मुकुंद अहिरवार, अनिल अहिरवार, राजेश कुशवाहा, यादव सिंह, शोभनाथ सिंह, मोहर साय, राम केश अहिरवार, ईस्वर दीन, गिरधारी सिंह, राम सिंह, अकाली सिंह, हरी लाल सिंह, पुरोसतम सिंह, अमित अहिरवार, शिव प्रसाद, शिवेन्द्र अहिरवार, अस्वनी अहिरवार, संत राम अहिरवार, ज्ञान सिंह आदि थे।

हर घर नाद आइए करें शंखनाद शिव मारुति युवा संगठन की पहल

अब जानवरों, पशु पक्षियों को नहीं रहना पड़ेगा प्यासा

कैलाश कुमार - सह संपादक (युवा प्रदेश)

अनूपपुर। पूर्व वर्ष की भांति शिव मारुति युवा संगठन की एक पहल, जिसके चलते अब जानवरों, पशु-पक्षियों को प्यासा नहीं रहना पड़ेगा। परोपकार का अर्थ ही भलाई करना है जिसे कर दिखाया है शिव मारुति युवा संगठन सामतपुर अनूपपुर ने। मनुष्यों को पानी पिलाने के लिए तमाम सामाजिक संगठन एवं निकाय आगे आते हैं लेकिन जानवरों, पशु-पक्षियों के लिए कोई कोई ही आगे आ पाता है। हर घर नाद मुहिम अब इस तरह से रंग ला रही है जिसकी उम्मीद किसी ने सपने में भी नहीं की थी। सर्वप्रथम बीते वर्ष से शिव मारुति युवा संगठन ने एक छोटी सी पहल 80+ नाद रखवा कर इस भीषण गर्मी में शुरू की थी। इस वर्ष भी अधिक से अधिक नाद रखाने का लक्ष्य जिससे कोई भी मूक जीव प्यासा न रहे। वही युवाओं का कहना है कि हर घर नाद एक पहल है जिससे जानवरों और पशु-पक्षियों को पानी की व्यवस्था हो सके इसके लिए सबसे पहले शुरुआत में शिव मारुति युवा संगठन ने लोगों से अपील की वो अपने घर में नाद रखें, जिसके बाद इसे कुछ घरों में रखवाया, इस शर्त के साथ कि वो लोग नाद में पानी हर दिन समय से भरेंगे और फिर उसके बाद धीरे-धीरे लोगों ने इस शुरुआत और नेक काम को देखा तो अन्य लोग भी अपने घर के बाहर नाद रखने के लिये अग्रसर हुए। शिव मारुति युवा संगठन ने कहा कि ये मुहिम आगे बढ़ती रहेगी और हम युवाओं की मेहनत एक दिन हर घर नाद की मुहिम



सफल होती नजर आएगी। युवाओं की दृढ़ इच्छा शक्ति, अच्छी सोच ने कुछ दिन पहले एक छोटी सी पहल थी जो आज रंग ला रही है। इस मुहिम से प्रभावित होकर आज खुद ही लोग अपने घर के बाहर नाद रखवा रहे हैं और खुद ही समय से पानी भर रहे हैं। इस भीषण गर्मी में पशुओं को पानी पिलाने हेतु नाद के लिए इच्छुक नागरिक भी 9754554615 9131003341 तथा 7747035734 फोन नंबरों पर संपर्क करके हर घर नाद के इस मुहिम को आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान कर सकते हैं।

प्रभारी मंत्री ने लाइब्रेरी का किया अवलोकन

ज्ञान चन्द शर्मा/बालाघाट। शिक्षा परिवहन व जिले के प्रभारी मंत्री उदय प्रताप सिंह ने अपने एक दिवसीय प्रवास के दौरान मलाजखंड नगर परिषद में बताई गई लाइब्रेरी का अवलोकन किया। वे मलाजखंड के वार्ड करहुभी पहुंचे नगर परिषद में स्थापित लाइब्रेरी के प्रयासों की सराहना की। इस दौरान एसडीएम अपित गुप्ता ने प्रभारी मंत्री सिंह को अवगत कराया कि नगर के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी लाइब्रेरी स्थापित करने के प्रयास जारी हैं। प्रभारी मंत्री सिंह ने कहा कि प्रयास अच्छे हैं अब आगे इसका अपडेशन भी लगातार जारी रहे। वे नप सीमा क्षेत्र अंतर्गत जनजाति बस्ती करहु पहुँचे यहाँ उनका स्वागत जनजातीय नृत्य संगीत के साथ किया गया। प्रभारी मंत्री सिंह ने पीएम आवास हितग्राही दलम सिंह के घर चाय और कोदो कुटकी का स्वाद लिया। उन्होंने अन्न योजना के तहत पारस्परिक व्यवजनो को बढ़ावा देने के निर्देश दिए।

जिले के मैरिज गार्डन में कोलाहल की संस्कृति, नियमों की अनदेखी और प्रशासनिक चुप्पी

शांति भांग करती रातें और सोता प्रशासन

कैलाश कुमार - सह संपादक (युवा प्रदेश)

चैतन्य मिश्रा

किसी झूठ को अगर ऊँची आवाज़ में बार-बार बोला जाए तो वह सच नहीं हो जाता ठीक उसी तरह, तेज़ आवाज़ में बजाया गया संगीत हर बार मन को सुकून नहीं देता। आज अनूपपुर शहर के कई रिहायशी इलाकों में जो कुछ हो रहा है, वह इसी कटु सत्य की गवाही देता है। शहर के अधिकांश मैरिज गार्डन रिहायशी क्षेत्रों में संचालित हो रहे हैं, और इन गार्डनों में देर रात तक तेज़ डीजे की गूँज सुनी जा सकती है। यह ध्वनि न केवल कानों को चीरती है, बल्कि शांति, नींद और मानसिक स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचा रही है। इन आवाजों के पीछे छुपी संवेदनहीनता और नियमों की अनदेखी समाज के संवेदनशील वर्गों विद्यार्थियों, बुजुर्गों और हृदय रोगियों पर सीधा प्रहार कर रही है।

स्वास्थ्य पर पड़ता घातक असर: चिकित्सा विज्ञान स्पष्ट रूप से कहता है कि तेज ध्वनि हृदय रोगियों के लिए घातक हो सकती है। तेज़ आवाज़ से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, नींद में गड़बड़ी आती है, चिड़चिड़ापन और तनाव जन्म लेता है। कई मामलों में यह दिल की धड़कनों को असामान्य बना सकता है और यहां तक कि हृदयघात का कारण भी बन सकता है।

विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़: शोर का सबसे बुरा असर उन विद्यार्थियों पर पड़ता है जो बोर्ड परीक्षाओं या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे होते हैं। मानसिक एकाग्रता के लिए ज़रूरी शांति जब डीजे की तेज़ बीट्स में दब जाती है, तो इसका असर केवल उनके पढ़ाई के घंटों पर नहीं, बल्कि उनके पूरे भविष्य पर पड़ता है।

नियमों की धज्जियां और प्रशासन की



चुप्पी: केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने स्पष्ट सीमा तय की है रिहायशी क्षेत्रों में दिन के समय 65 डेसीबल और रात में 55 डेसीबल से अधिक ध्वनि नहीं होनी चाहिए। लेकिन हकीकत यह है कि शहर के डीजे 90 से 110 डेसीबल तक की तीव्रता से बज रहे हैं। कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की खुलेआम अवहेलना हो रही है। पुलिस और प्रशासन की चुप्पी इस बात को और अधिक खतरनाक बना देती है। स्थानीय निवासियों द्वारा की गई शिकायतों पर केवल आश्वासन मिलता है, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं। शांति समिति की बैठकें केवल औपचारिकता बनकर रह गई हैं, जहां न कोई ठोस निर्णय होता है, न ही कोई प्रभावी क्रियान्वयन।

अनुमति या अनदेखी: जब आयोजकों को कार्यक्रमों के लिए अनुमति दी जाती है, तो क्या यह उम्मीद नहीं की जानी चाहिए कि वह नियमों का पालन करेंगे? लेकिन

जब अनुमति के बावजूद कानून की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, तो यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या यह प्रक्रिया केवल भ्रष्टाचार और राजनीतिक संरक्षण की छांव में पनप रही है? इस विकट स्थिति से निपटने के लिए केवल सख्त कानून काफी नहीं होंगे। ज़रूरत है ईमानदार और संवेदनशील प्रशासनिक रवैये की। प्रशासन को चाहिए कि वह हर गार्डन पर निगरानी तंत्र स्थापित करे और रिहायशी क्षेत्रों में कार्यक्रमों पर विशेष निगरानी रखे। स्थानीय नागरिकों की शिकायतों को प्राथमिकता पर सुना जाए और हर उल्लंघन पर त्वरित कार्रवाई हो, उत्सव और शोरगुल में अंतर है। उत्सव वह होता है जिसमें सबका सम्मान बना रहे नींद का, स्वास्थ्य का, और जीवन का भी। शांति में ही समाज की उन्नति है। आज यह जिम्मेदारी प्रशासन, आयोजकों और नागरिकों तीनों की है कि वे इस गूँजती हुई समस्या का स्थायी समाधान तलाशें। समाज का असली उत्सव तभी संभव है जब वह हर दिल की धड़कन के साथ चल सके बिना उसे डरा कर, दबा कर या तोड़ कर।

एयर एम्बुलेंस सुविधा का होगा विस्तार अस्पताल से घर तक पार्थिव देह ले जाने के लिए जिलों में उपलब्ध होंगे शव वाहन



रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन भोपाल मध्यप्रदेश

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से नागरिकों की स्वास्थ्य समस्याओं का निराकरण किया जाए। कैंसर जैसे रोगों से ग्रस्त नागरिकों को आवश्यक उपचार सुविधाएं प्राथमिकता से दिलवाई जाएं। प्रदेश में अंगदान को प्रोत्साहित किया जाए। पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज प्रारंभ किए जा रहे हैं जो प्रदेश के नागरिकों को बेहतर उपचार सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा अस्पतालों से घर तक पार्थिव देह ले जाने के लिए शव वाहन उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया है। यह व्यवस्था जिलों से प्रारंभ होगी जिसका बाद में विकास खण्ड और तहसील स्तर तक विस्तार होगा। प्रदेश में एयर एम्बुलेंस सेवा को अधिक प्रभावी बनाते हुए गंभीर रोगियों के साथ ही दुर्घटनाओं में गंभीर रूप से घायल नागरिकों को भी सेवाओं का लाभ दिलाना सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रालय में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने अस्पताल से पोस्ट मॉर्टम एवं मृत्यु के अन्य मामलों में पार्थिव देह घर तक ले जाने के लिए शव वाहन उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है। यह व्यवस्था प्रारंभ में जिला स्तर पर रहेगी। बाद में इस व्यवस्था को विकास खण्ड और तहसील तक विस्तार किया जाएगा। मध्यप्रदेश देश का प्रथम राज्य है जहां मरीजों के लिए एयर एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध है। इस सुविधा का विस्तार इस तरह किया जाएगा कि किसी भी दुर्घटना स्थल पर भी एयर एम्बुलेंस को पहुंचाया जा सके। दुर्घटनाओं में गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को चिकित्सक और कलेक्टर द्वारा निर्णय लेकर चिकित्सा संस्थानों तक भेजने की व्यवस्था की जाएगी। वर्तमान में एयर एम्बुलेंस सेवा में एक हेलीकाप्टर और एक एरोप्लेन उपलब्ध है। गरीब से गरीब नागरिक को इस सुविधा का लाभ देने का प्रयास है। भविष्य की आवश्यकताओं के दृष्टिगत राज्य के विभिन्न जोन निर्धारित कर इस सेवा की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।

आम जनता को परेशानी न हो इसलिए हड़ताल में शामिल नहीं हुए भोपाल के संविदा स्वास्थ्यकर्म

रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन भोपाल मध्यप्रदेश



संगठनों के आह्वान पर की जा रही स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल में भोपाल जिले के संविदा स्वास्थ्यकर्म शामिल नहीं हुए हैं। जिले की सभी शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं और मैदानी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं निर्बाध रूप से निरंतर जारी रही। दरअसल कुछ संगठनों ने स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल का आह्वान किया था, किंतु मरीजों और अन्य हितग्राहियों के हित को देखते हुए भोपाल में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने हड़ताल में शामिल न होकर स्वास्थ्य सेवाएं निरंतर दिए जाने का फैसला लिया है। हड़ताल के पहले दिन 22 अप्रैल मंगलवार को भोपाल जिले में 237 नियमित टीकाकरण सत्रों में से 232 सत्र आयोजित हुए। इस दौरान 831 बच्चों और 187 गर्भवती महिलाओं को टीके लगाए गए। इसके साथ ही असंचारी रोग स्क्रीनिंग, टीबी, मलेरिया, कुष्ठ, गर्भवती महिलाओं की जांच एवं हाई रिस्क चिह्नंकन, प्रसव, परिवार कल्याण सेवाएं सहित विभिन्न स्वास्थ्य दी जा रही हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत भोपाल जिले में 700 से अधिक संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी कार्यरत हैं। जिसमें चिकित्सक, प्रबंधकीय स्टाफ, नर्सिंग ऑफिसर्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, टीबीएचवी सहित विभिन्न केडर्स शामिल हैं। इनके द्वारा विभिन्न शासकीय अस्पतालों, आयुष्मान आरोग्य केंद्रों, पोषण पुनर्वास केंद्रों, जिला शीघ्र हस्तक्षेप केन्द्र एवं मैदानी स्तर पर अपनी सेवाएं दी जा रही हैं। संविदा कर्मचारियों द्वारा समय-समय पर शासन से उनके हितों के संरक्षण की मांग की जाती रही है। शासन द्वारा सहानुभूतिपूर्वक विचार करके उनके हित में निर्णय भी लिए गए हैं। कर्मचारियों द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन भी दिया गया है। जिले के संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने भी इन मांगों को लेकर सरकार से सकारात्मक रुख की अपेक्षा की है किंतु हितग्राहियों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए हड़ताल से स्वयं को दूर रखा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल डॉ. प्रभाकर तिवारी ने कहा कि शासन की नीतियां सदैव ही कर्मचारियों के हितों का संरक्षण करने के लिए प्रतिबद्ध होती है। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की अपेक्षाओं और उनकी मांगों को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों से सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आग्रह किया जाएगा। जिले के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का ये कदम स्वागत योग्य है कि उन्होंने अपने व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा आमजन के हितों को प्राथमिकता दी है।

मध्य प्रदेश का प्रथम जिला जिसने ग्रामीण क्षेत्र में पहुँचकर 26 युवाओं को बनाया ट्रैफिक मित्र

अनूप गुप्ता ब्यूरो चीफ अनूपपुर। अनूपपुर। पुलिस अधीक्षक अनूपपुर द्वारा आज अनूपपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के लिए एक अनोखा एवं नया नवाचार करते हुए ट्रैफिक मित्र योजना का शुभारंभ किया गया। ट्रैफिक मित्र योजना के माध्यम से जिले के ग्रामीण क्षेत्र से चुनकर आए 26 युवाओं को ट्रैफिक मित्र बनाया गया। पुलिस अधीक्षक अनूपपुर द्वारा सभी युवाओं को ट्रैफिक मित्र किट प्रदाय कर योजना को प्रारंभ किया गया। ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को यातायात के प्रति जागरूक कर उन्हें ट्रैफिक मित्र योजना से जोड़ने जैसा नवाचार करने वाला जिला पूरे मध्य प्रदेश में एक मात्र अनूपपुर होगा। योजना का शुभारंभ करते हुए पुलिस अधीक्षक अनूपपुर ने बारी-बारी सभी युवाओं से परिचय प्राप्त किया एवं किस प्रकार अनूपपुर पुलिस के साथ कदम से कदम मिलाकर कार्य करना है, इसका प्रशिक्षण दिया। सभी युवाओं को ट्रैफिक मित्र किट प्रदाय की गई। प्रारंभिक चरण में 26 युवाओं को इस योजना से जोड़ा गया है। आगामी समय में जिले के प्रत्येक ग्राम से ट्रैफिक मित्र चुना जावेगा। नर्मदा सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, यातायात हाईवे चौकी प्रभारी अपने बल के साथ उपस्थित रहे।



पति का इलाज कराने आए बुजुर्ग को घसीटने का वायरल वीडियो गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों पर हुई कार्रवाई

रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन
भोपाल मध्यप्रदेश

छतरपुर जिला अस्पताल का एक वीडियो वाइरल हो रहा है। वीडियो में दिखाई दे रहा है की एक 77वर्षीय बुजुर्ग को डॉक्टर घसीटते हुए बाहर फेंक रहे हैं दरसल दिनांक 17 अप्रैल को जिला चिकित्सालय छतरपुर में 77 वर्षीय बुजुर्ग उद्धवलाल जोशी अपनी 70 वर्षीय अपनी पत्नी का इलाज कराने नौगांव से जिला चिकित्सालय छतरपुर आये थे, जिला चिकित्सालय में पदस्थ डॉ० राजेश कुमार मिश्रा, संविदा स्नातकोत्तर चिकित्सा अधिकारी अस्थीरोग विशेषज्ञ जिला चिकित्सालय छतरपुर द्वारा बुजुर्ग दंपती के साथ अभद्रता एवं मारपीट किये जाने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ। वीडियो में दिखाई दे रहे दो व्यक्ति इस बुजुर्ग को इस तरह घसीट कर ले जा रहे हैं। घटनाक्रम की एफ.आई.आर स्थानीय थाना, नौगांव जिला छतरपुर में संबंधित बुजुर्ग उद्धवलाल जोशी के द्वारा की गई। थाना नौगांव द्वारा डॉ० राजेश कुमार मिश्रा के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 (2), 296, 3(5), 351 (3) के अंतर्गत दिनांक 30.04. 2025 को प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। सोशल मीडिया पर जिला चिकित्सालय छतरपुर के वायरल वीडियो के संदर्भ में संज्ञान लेते हुए मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा डॉ. राजेश कुमार मिश्रा की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई हैं। संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा डॉ. जी.एल. अहिरवार, सिवल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, छतरपुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है, जिसके आदेश जारी किए जा चुके हैं। भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी जिला छतरपुर (म.प्र.) द्वारा रेडक्रॉसकर्मि राघवेंद्र खरे की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई हैं।



ई-केवाईसी कार्यवाही तीस अप्रैल तक अनिवार्य रूप से पूर्ण की जाए कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न



रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन भोपाल मध्यप्रदेश

कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में साप्ताहिक टीएल बैठक आयोजित की गई। बैठक में सीएम हेल्पलाइन, समय सीमा में प्राप्त विभागीय पत्रों तथा शासकीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने विभागवार 50 दिवस से अधिक लंबित सीएम हेल्पलाइन शिकायतों की गहन समीक्षा करते हुए उनके त्वरित एवं संतोषजनक निराकरण के स्पष्ट निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि जिले के सभी शेष हितग्राहियों की ई-केवाईसी कार्यवाही 30 अप्रैल तक अनिवार्य रूप से पूर्ण की जाए। इसके लिए विशेष अभियान चलाया जाए तथा लापरवाही बरतने वाले सेल्समैन के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने जिले के समस्त हितग्राहियों से अपील की कि वे 30 अप्रैल से पूर्व अपनी ई-केवाईसी अवश्य पूर्ण कराएं, जिससे उन्हें खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत राशन का लाभ बिना बाधा मिलता रहे। नगर निगम अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि समग्र ई-केवाईसी के कार्य में तेजी लाई जाए तथा निकायवार विशेष शिविर आयोजित कर शेष कार्य शीघ्रता से पूर्ण किया जाए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ एडीएम सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

आयुष्मान आरोग्य मंदिर लगा का किया वर्चुअल असेसमेंट

ज्ञान चन्द शर्मा /बालाघाट। जनजातीय विकासखंड परसवाड़ा के आयुष्मान आरोग्य मंदिर लगा का भारत सरकार के केंद्रीय दल ने वर्चुअल असेसमेंट किया। सीएम एचओ डॉ. परेश उपलप ने बताया कि भारत सरकार की गुणवत्ता पूर्वक स्वास्थ्य सुविधाओं को प्राथमिकता से जन मानस तक पहुँचाने के लिए कटिबद्ध है। राष्ट्रीय गुणवत्ता एवं मानक सेवाओं के लिए मिशन संचालक डॉ. सलोनी सडाना द्वारा जनजातीय विकास खंड को प्राथमिकता देते हुए नेशनल कालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड के अंतर्गत ये असेसमेंट किया गया।

सँभाग में किस काम के इतने बड़े मेडीकल कालेज व जिला अस्पताल

जिला अस्पताल में रेफर-रेफर का खेल, रातभर प्रसूता को लेकर भटकते रहे परिजन, विवाद के बाद मिला इलाज

अनूप गुप्ता

शहडोल। हंगामे के बाद समाजसेवियों के हस्तक्षेप और सिविल सर्जन डॉ. शिल्पी सराफ के निर्देश के बाद, रात में ही गाइनेकोलॉजिस्ट और एनेस्थीसिया डॉक्टर को बुलाया गया और महिला का सुरक्षित ऑपरेशन जिला अस्पताल में ही किया गया। जिला अस्पताल में दर्द से तड़प रही प्रसूता को ड्यूटी डॉक्टर ने जिला अस्पताल से रेफर कर दिया। इस पर उसके परिजनों ने विरोध किया, ड्यूटी डॉक्टर ने कहा कि एनेस्थीसिया डॉक्टर ना होने की वजह से यहां ऑपरेशन नहीं हो सकता है। इसके बाद काफी हंगामा हुआ, अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद फिर प्रसूता का जिला अस्पताल में ही सुरक्षित ऑपरेशन किया गया। ड्यूटी डॉक्टर की बातचीत का एक वीडियो सामने आए हैं। सिविल सर्जन ने बताया कि उमरिया जिले के मानपुर की रहने वाली प्रसूता रूपाली केवट को परिजन लेकर सोमवार की रात 2:00 बजे जिला अस्पताल शहडोल लाए थे। प्रसूता हाई रिस्क होने की वजह से मानपुर के डॉक्टरों ने महिला को रेफर किया था। परिजनों को उसे उमरिया जिला अस्पताल ले जाना था, लेकिन उसे शहडोल जिला अस्पताल लेकर आ गए। मेडिकल कॉलेज के गायनी विभाग का गेट बंद, अधिकारी ने कहा आरोप गलत परिजनों ने बताया कि जिला अस्पताल के गायनिक विभाग में ड्यूटी में तैनात डॉक्टर



पूर्वी श्रीवास्तव से उनकी मुलाकात हुई। ड्यूटी डॉक्टर पूर्वी श्रीवास्तव ने यह कहा कि मैं सर्जन नहीं हूँ। मैं ऑपरेशन नहीं कर सकती। आप मरीज को कहीं और ले जाइए। परिजनों ने कहा कि यह संभागीय मुख्यालय का जिला अस्पताल है, मरीज को हम इतनी रात में कहां लेकर जाएं। जिसे ड्यूटी डॉक्टर ने मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। परिजनों ने बताया कि मेडिकल कॉलेज के गायनी विभाग मरीज को लेकर पहुंचे थे, लेकिन वहां गेट बंद था। काफी आवाज देने के बाद भी किसी ने गेट नहीं खोला। इसके बाद वह पुनः जिला अस्पताल प्रसूता को लेकर पहुंच गए। वहीं मेडिकल कॉलेज अधीक्षक डॉक्टर नागेंद्र सिंह का कहना है कि परिजनों का आरोप निराधार हैं। गायनी विभाग का गेट बंद नहीं था, परिजन शायद आए ही नहीं होंगे, मैं

सीसीटीवी में दिखाता हूँ, अगर ऐसा हुआ होगा तो हम कार्रवाई करेंगे।

समाजसेवी भी मौके पर पहुंचे

प्रसूता को लेकर परिजन दोबारा जिला अस्पताल पहुंचे और ड्यूटी डॉक्टर के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। उसका एक वीडियो सामने आया है। जानकारी लगते ही शहर के कुछ समाजसेवी भी मौके पर पहुंचे, जो मरीज के परिचित थे। विनय केवट ने बताया कि रूपाली के पति मेरी परिचित हैं। मुझे उनके पति का फोन आया था कि जिला अस्पताल के डॉक्टर ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं। तो मैं रात में अपने एक सहयोगी के साथ जिला अस्पताल पहुंचा था।

जिला अस्पताल में हुआ ऑपरेशन

विनय केवट ने बताया मुझे जिला अस्पताल में डॉक्टर पूर्वी श्रीवास्तव ड्यूटी पर मिलीं। मैंने पूछा मैडम ऑपरेशन कर दीजिए तो ड्यूटी डॉक्टर ने कहां मैं सर्जन नहीं हूँ। मैं ऑपरेशन नहीं कर सकती। इसके बाद सिविल सर्जन को समाजसेवियों ने मामले की रात में ही जानकारी दी। सिविल सर्जन डॉक्टर शिल्पी सराफ के हस्तक्षेप के बाद ड्यूटी डॉक्टर ने एनेस्थीसिया और गाइनेकोलॉजिस्ट को रात में इसकी खबर दी। जिसके बाद सुरक्षित ऑपरेशन प्रसूता का जिला अस्पताल में किया गया।

जिला अस्पताल में लोड अधिक

सिविल सर्जन ने बताया कि जिला अस्पताल में 24 घंटे में 15 से अधिक ऑपरेशन होते हैं। जिला अस्पताल में एनेस्थीसिया डॉक्टरों की कमी है, यहां एक ही डॉ. मनोज जायसवाल हैं। मेडिकल कॉलेज में भी एक ही एनेस्थीसिया डॉक्टर होने की वजह से जिला अस्पताल में लोड अधिक रहता है। जिला अस्पताल में उमरिया, अनूपपुर और डिंडोरी जिले के मरीज आते हैं। जिसकी वजह से रात में कुछ दिक्कतें होती हैं। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि मरीजों को परेशानी ना हो। मानपुर से रेफर आई महिला के परिजन और ड्यूटी डॉक्टर के बीच कुछ बहस हुई थी, लेकिन जब मुझे जानकारी मिली तो मैंने प्रसूता महिला का जिला अस्पताल में ही ऑपरेशन करवाया है जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं।

जिले में एनेस्थीसिया डॉक्टरों की कमी नहीं

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार जिले में कई एनेस्थीसिया डॉक्टर हैं। जिसमें ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर सिंहपुर सुनील स्थापक और धनपुरी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सचिन कारकुर शामिल है। इन डॉक्टरों की भी अगर जिला अस्पताल में सप्ताह में एक-एक दिन ड्यूटी लगाई जाए तो समस्या कम हो सकती है।

पृथ्वी दिवस पर महाविद्यालय परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया।



पत्रकार बीआर अहिरवार नर्मदापुरम। दिनांक - 22-04-2025 को विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर शासकीय विधि महाविद्यालय, नर्मदापुरम स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ के प्रभारी श्री राजदीप सिंह भदोरिया एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रभारी श्री शिवाकांत मौर्य के निर्देशन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्राचार्य, डॉ. कल्पना भारद्वाज की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजन हुआ। पृथ्वी के पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण के संबंध में प्राध्यापकों एवं विद्यार्थियों ने अपने-अपने उद्बोधन दिए। जिसमें पृथ्वी को किस प्रकार से संरक्षित एवं सुरक्षित किया जा सकता है प्रदूषण मुक्त किया जा सकता है इस पर व्यापक उद्बोधन दिए गए। जिससे महाविद्यालय के विभिन्न छात्र - छात्राएं लाभान्वित हुए। डॉ. अभिषेक सिंह (सहायक प्राध्यापक), डॉ. हरिप्रकाश मिश्र, क्रीड़ाधिकारी (अतिथि विद्वान), डॉ. ओम शर्मा, ग्रंथपाल (अतिथि विद्वान), श्री मनोज कुमार शर्मा, सहायक ग्रेड -3, लक्ष्मी कुलकर्णी, भृत्य, अजय उपस्थित रहे।

पत्रकार राजेश पयासी की चलती कार पर पथराव

पुलिस अधीक्षक ने दिये जांच के निर्देश, कहा - आरोपी शीघ्र पकड़े जाएंगे

अनूप गुप्ता ब्यूरो चीफ अनूपपुर

अनूपपुर। श्रमजीवी पत्रकार संघ अनूपपुर जिलाध्यक्ष राजेश पयासी पर चलती कार में हमला किया गया। अज्ञात शख्स ने बदरा हाईवे पर उनकी कार पर पथर मारा। वो बाल - बाल बच गये।? चलती कार पर पथराव से बाएं साईड का पीछे के हिस्से का कांच टूट गया। तेज धमाका सा हुआ। आवाज से पहले लगा कि टायर फट गया है। उतर कर देखने पर पथराव की पुष्टि हुई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक मोती उर रहमान ने भालूमाडा थाना प्रभारी संजय



खलको को निर्देशित किया। देर रात भालूमाडा पुलिस घटना स्थल पर पहुंची। बुधवार की सुबह मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है। इसके बाद मध्यप्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज द्विवेदी, शहडोल संभाग अध्यक्ष अजीत मिश्रा, जिलाध्यक्ष स्वयं राजेश पयासी, वरिष्ठ पत्रकार संतोष झा कार्यकारी अध्यक्ष दुर्गा शुक्ला, महासचिव दीपक सिंह, उपाध्यक्ष सुधाकर मिश्रा, आदर्श मिश्रा के साथ अन्य लोग पुलिस अधीक्षक श्री रहमान से मिले और चिंता जाहिर की। संभागीय अध्यक्ष अजीत मिश्रा ने बतलाया कि पत्रकार राजेश पयासी की चलती कार पर कल बदरा मे हुई पत्थरबाजी की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक सर कल देर रात तक स्वयं सक्रिय रहे और भालूमाडा पुलिस को मौके पर भेजा। आज मैं वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ अल्प सूचना पर एसपी सर से मिलने पहुंचे। उन्होंने घटना पर चिंता जताई और आश्वासन दिया कि दो-तीन दिन में आरोपी पकड़ लिये जाएंगे। उन्होंने कहा कि कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। यह बहुत राहत की बात है कि बड़ा हादसा टल गया। उन्होंने पुलिस अधीक्षक की तत्परता और संवेदनशीलता के लिये आभार प्रकट किया।

मेरे राम



मेरे राम न मरने की कहते हैं, न मारन की कहते हैं।

हर घड़ी, हर पल, हर क्षण बस, मेरे हृदय में रहते हैं।।

क्या मंदिर क्या मस्जिद,
क्या गुरुद्वारा या गिरजाघर,
क्या रहने का स्थान नियत,
कभी सीमाओं में बंधा नहीं।
सब मानव जीव जन्तुओं,
पेड़ तंतुओं में रहता वह,
हर जगह हर क्षण हर कण,
वह सर्वव्यापी रहते राम।।।।। मेरे राम
मानव में वह सर्वोपरि,
मर्यादाओं में पुरुषोत्तम,
अहंकार का दंभ सदा,
वह सत्य न्याय की परिभाषा।
जीवन कल्याण व्रत है जिसका,
वह पीड़क कैसे होय कभी,
वह निश्छल निर्गम निर्विकार,
हर जीव के अंतर्धर्म बसते राम।।।।। मेरे
राम

जन्म से लेकर मृत्यु दिवस तक,
हर क्षण शुभ है उसका नाम,
आशा से करता हूँ वह सब,
उसने सौपा जो भी काम।
वह जीवन की कल्पना है,
जीवन जीने की कलां वही,
क्यों बाहर सब उसे दूँद रहे,
राज अन्दर बैठे मेरे राम।।।।। मेरे राम..
मेरे राम न मरने की कहते हैं, न मारन की कहते हैं।

हर घड़ी, हर पल, हर क्षण बस, मेरे हृदय में रहते हैं।

एड. रामदास राज ,अधिवक्ता/ नोटरी
सागर मध्य प्रदेश , मोबा.न.
.9893914769

गुमशुदा की तलाश



नाम- राजेश अहिरवार = उम्र 27 साल
पिता- श्री छिदामी लाल अहिरवार

गांव = बिजनहाई
तहसील = उदयपुरा
जिला = रायसेन (M.P)
मो- 62619 59452

राष्ट्रीय पंछी संरक्षण अभियान

मूलचन्द मेंधोनिया पत्रकार भोपाल



भोपाल -परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय पंछी संरक्षण अभियान कार्यक्रम के तहत भोपाल के स्वर्ण जयंती पार्क एवं भोपाल में कई सार्वजनिक स्थानों पर पंछियों के लिए जगह-जगह सकोरे लगाकर पंछियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था की इस अवसर पर परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोनू महेन्द्र सिंह रावत राष्ट्रीय प्रभारी सुधीर सिंह बेरिया राष्ट्रीय सह प्रभारी दुर्गा प्रसाद कुशवाहा प्रदेश अध्यक्ष बसंत सिंह बैस प्रदेश महासचिव संतोष परिहार प्रदेश सचिव गंगाधर बारस्कर प्रदेश उपाध्यक्ष विरेंद्र सिंह जिला मीडिया प्रभारी जयंत पाटील जिला उपाध्यक्ष दिलीप सिंह जिला सह सचिव वीर कुमार एवं अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे इस अवसर पर परिवर्तन पार्टी ऑफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोनू महेन्द्र सिंह रावत ने भोपाल की जनता से अपील करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम में आप सभी जनमानस हमें सहयोग प्रदान करें और इन बेजुबान पंछियों व पर्यावरण को बचाने के लिए अधिक से अधिक संख्या में जगह-जगह पर पंछियों के लिए दाना पानी उपलब्ध करायें और उन्होंने कहा कि परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पंछी संरक्षण एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए पूरे देश में अभियान चला रही।

अनूप गुप्ता ब्यूरो चीफ अनूपपुर

देश के सिरमौर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों को धर्म पूछ पूछ कर केवल हिंदुओं को आतंकवादियों द्वारा गोलियों से छलनी कर मौत के नींद सुलाने की घटना ने जहां समूचे विश्व को झकझोर कर रख दिया है वही वही सेकुलरिज्म के नाम पर अल्पसंख्यक तुष्टिकरण की राजनीति के माध्यम से राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित परियों भी आज दिखाने के लिए ही सही इस जघन्य नरसंहार का जहां विरोध कर रही हैं वहीं पहली बार जम्मू कश्मीर में इस नरसंहार के विरुद्ध एक जुटता का परिचय देते हुए पूर्णता बंद को सफल बनाते हुए यह सिद्ध कर दिया है कि राष्ट्र विरोधी ताकतों को अब खैर नहीं उपरोक्त बातें पत्रकार विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष एस के कुसुमाकर श्रीमाली ने पहलगाम में धर्म के आधार पर हिंदू सैलानियों की हुई निर्मल हत्या पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि में कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमाली ने मृत आत्माओं की चिर शांति हेतु परमात्मा से कामना करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता वरिष्ठ पत्रकार संपत दास गुप्ता ने कहा कि जिस प्रकार से धर्म के आधार पर आतंकवादियों ने हिंदू सैलानियों को गोलियों से भून कर मौत की नींद सुलाया है सैलानियों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा इस घटना ने समूचे राष्ट्र को झकझोर कर रख दिया है आवश्यकता है भारत सरकार ऐसे आतंकवादी संगठनों को नेस्तनाबूद करने के साथ ही इन्हें पनाह देने वाले देश में छुपे गद्दारों को दूँद दूँद कर एनकाउंटर कर मौत के नींद सुलाया जाए तथा इन आतंकवादियों का सरगना पड़ोसी पाकिस्तान को भी नेष्ट नाबूत करने की आवश्यकता है।



हमर ओबीसी महापुरुष के,
फिलिम के ओमन विरोध करत हे।
उंखर अत्याचार के किस्सा,
उजागर होही कहिके डरत हे।।
अभिव्यक्ति के आजादी हे तब,
इतिहास के सच ला आवन दो।
तुंहर पुरखा के खलनायकी हे,
दुनिया के मन ला देखावन दो।।
लक्ष्मी नारायण कुम्भकार सचेत दुर्ग (छोगो)

आतंकी हमले के विरोध में पुतला दहन।



उदयपुरा। देश के प्रमुख पर्यटन स्थल पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले में निर्दोष नागरिकों की दुखद निधन ने पूरे देश को शोकसंतप्त कर दिया है। इस अमानवीय कृत्य के विरोध में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा उदयपुरा में आतंकवाद के खिलाफ पुतला दहन किया जिसमें मुख्य रूप से रमाकांत चौहान, आनंद कौरव, विकाश धाकड़, अंकित पटवा, अंशुल रघुवंशी एवं समस्त युवा साथी उपस्थित रहे एवं शासन प्रशासन, नगर पालिका का पूर्ण सहयोग रहा।

पहलगाम के आतंकी हमले में मारे गए लोगों को पत्रकार विकास परिषद ने दी श्रद्धांजली



रेलवे स्टेशन जगदलपुर में रेम्प का निर्माण, रावघाट से जगदलपुर तक रेल लाईन निर्माण कार्य कराने के संबंध में ज्ञापन सौंपा चन्द्रिका सिंह



जगदलपुर। दिनांक 22.04.2025/ रेलवे स्टेशन जगदलपुर में रेम्प का निर्माण, जिला दन्तवोड़ा के आंवराभाटा में रोड क्रॉसिंग पर उच्च स्तरीय पुल (ओवर ब्रिज) का निर्माण तथा रावघाट से जगदलपुर तक रेल लाईन निर्माण कार्य कराने के संबंध में ज्ञापन सौंपा चन्द्रिका सिंह जन अधिकार मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष चन्द्रिका सिंह एवं प्रदेश महासचिव विपिन तिवारी ने एक अवगत कराया कि, बस्तर संभाग का मुख्य रेलवे स्टेशन जगदलपुर में आज दिनांक तक रेम्प का निर्माण नहीं किया गया है। जबकि इसके पूर्व भी तत्संबंध में अपिल किया जा चुका है। विदित हो कि जगदलपुर से अधिकांश मरीज जो गम्भीर बीमारियों से पीड़ित रहते हैं वे उपचार के नाम पर विशाखापट्टनम की शरण लेते हैं।

चूंकि रेम्प के न होने से विकलांग और अति पीड़ित मरीजों को अत्यंत कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। बस्तर के इतने बड़े भू-भाग में केवल एक मुख्य रेलवे स्टेशन जगदलपुर है और यहाँ पर रेम्प का निर्माण न होना अत्यंत चिंताजनक विषय है, जिसका जन अधिकार मोर्चा घोर विरोध करता है, और यह माँग करता है कि अविलम्ब रेम्प का निर्माण किया जाए। जिस बस्तर भू-भाग से (बचेली, किरंदूल) कच्चा लोहा का परिवहन बड़े जोर-सोर से किया जा रहा है वहीं दूसरी ओर रेलवे स्टेशन पर उचित व्यवस्था न देना किसी भी स्थिति में न तो उचित है और न ही न्याय संगत है। रेम्प का निर्माण यथाशीघ्र न होने कि स्थिति

में जन अधिकार मोर्चा जन हित में भविष्य में रेल रोकों आंदोलन का मार्ग अपना सकता है, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी और विभाग की होगी कृप्या की गई कार्यवाही से अवगत कराने का कष्ट करेंगे। संदर्भित पत्र के संदर्भ क्र.1 के माध्यम से उपरोक्तानुसार निवेदन किया गया था। अत्यंत खेद का विषय है आज दिनांक तक जनहित में क्या कार्यवाही की गयी जानकारी अपेक्षित है। (2) - यह कि, दन्तवोड़ा को जिला बने लगभग 23 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् भी रेलवे विभाग द्वारा इस जिला को सुविधा मुहैया कराने के नजरअंदाज किये जाने के फलस्वरूप मोर्चा ने विस्तृत जानकारी के साथ जनहित में यह अपील की थी कि, यहां की जनता रेलवे ओवर ब्रिज के अभाव में काफी परेशानियों का समना कर रही है। यह आकलन करने योग्य बात है।

जिला बनने के इतने वर्षों बाद यहां की जनसंख्या और ट्राफीक की स्थिति कहां पहुंची होगी ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन रेलवे विभाग की मौन स्थिति के कारण यहां की जनता हलाकान हो रही है। जिला मुख्यालय दन्तवोड़ा के आंवराभाटा में स्थित रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण के लिए स्थानीय जिला प्रशासन ने काफी रूची दिखाते हुए जनमानस की समस्या के मद्देनजर एन.एम.डी.सी. बचेली से वर्ष 2015 में रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए रूपया लगभग 799.13 लाख (शब्दों में सात करोड निन्यानवे

लाख तेरह हजार रूपये) का अनुबंध किया जाकर कार्य प्रारम्भ करने हेतु रेलवे विभाग को प्रारम्भिक दौर में लगभग 01 करोड रूपये (शब्दों में एक करोड रूपये) जमा कराया गया था। यह काफी चर्चा के विषय में भी रहा और यहां की जनता में खुशी की लहर भी थी, लेकिन रेलवे विभाग की उदासीनता के कारण उन्होंने जमा की गई राशि जिला प्रशासन को यह कहते हुए कि गीदम से दन्तवोड़ा तक की सड़क राष्ट्रीय राज्य मार्ग के अधीन होने के कारण ये निर्माण उक्त विभाग के द्वारा किया जाना है राशि लौटा दी। लगभग प्रत्येक एक घण्टे के अन्तराल में मालगाड़ियों का आवाजाही के कारण स्थानीय गेट बंद रहता है जिसके कारण जहां एक ओर जनता हलाकान हो रही है वही दूसरी ओर गंभीर स्थिति के मरीज भी बाधित होते हैं। दो विभागों के बीच में फंसा ये मामला जनता के राहत के लिए कब अपना योगदान करेंगे समझ से परे है। मोर्चा ने काफी दुख जाहिर करते हुए रेलवे विभाग और राज्य सरकार से अनुरोध विनय के साथ अपिल की है कि उक्त रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण यथाशीघ्र कराये जाये ताकि इस क्षेत्र की जनता को राहत मिल सके। यदि पूर्व की भांति स्थिति बनी रहती है तो जनअधिकार मोर्चा जनहित में आवश्यकतानुसार इस विषय को लेकर आमरण अनशन कर सकता है।

संदर्भ के सरल क्र. 2 के संदर्भित समाचार पत्रों के माध्यम से निरंतर उक्त कार्य हेतु अपील

किया जाता रहा है।

(3) - महोदय, रावघाट से जगदलपुर रेल लाईन विस्तार (रायपुर से जगदलपुर) आज कई वर्षों से निर्माण का कार्य होने के बावजूद भी अपूर्ण है जो भारत देश के लिए काफी विडम्बना और हास्यपद बना हुआ है। इस आशय का ज्ञापन आयुक्त बस्तर संभाग की अनुपस्थिति में श्री बी0 एस0 सिदार, डिप्टी कमिश्नर तथा कलेक्टर महोदय की अनुपस्थिति में सी0पी0 बघेल, अपर कलेक्टर तथा जगदलपुर रेल शाखा प्रबंधक को श्रीमान् मण्डल रेल प्रबंधक, विशाखापट्टनम के नाम का ज्ञापन सौंपा गया, ज्ञापन सौंपने वालों में सर्व श्री शेख अनवर हुसैन, प्रदेश उपाध्यक्ष, श्री शंकर लाल श्रीवास्तव, संभागीय अध्यक्ष, श्री विनय मण्डल, संभागीय संयोजक बस्तर संभाग, श्री दशमुराम सेठिया, प्रदेश सचिव एवं श्री दिनेश रायकवार सहित अन्य साथी उपस्थित रहे। संबंधित अधिकारियों ने मांग का समर्थन करते हुए मांग पूर्ति हेतु उच्चाधिकारियों को पत्राचार करने का आश्वासन दिया।

चंद्रिका सिंह

अध्यक्ष

जन अधिकार मोर्चा

छत्तीसगढ़

विपिन कुमार तिवारी

प्रदेश महासचिव

जन अधिकार मोर्चा

छत्तीसगढ़

शासकीय सी एम राइज उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोविंदपुरा भोपाल में तेजस्वी कार्यक्रम का आयोजन

भोपाल। छात्रों में उद्यमशीलता का आत्मविश्वास और कौशल विकसित करने के लिए शासकीय सी एम राइज उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोविंदपुरा भोपाल में दिनांक 24/04/2025 को तेजस्वी कार्यक्रम का आयोजन किया गया छ कार्यक्रम का शुभारंभ उद्यम लर्निंग फाउंडेशन से पधारे मुख्य अतिथि श्री उदयसिंग मैनेजर, पूजा त्रिपाठी फील्ड ऑब्जरवेशन स्पेशलिस्ट, विद्यालय की प्राचार्य डॉ.पूनम अवस्थी, उप प्राचार्य श्रीमती रेखा श्रीवास्तव ने फीता काटकर किया छ कार्यक्रम का संचालन श्रीमती सुधा तिवारी ने किया छ कार्यक्रम में विद्यार्थियों की 16 टीम ने उत्साहपूर्वक अपने व्यवसाय के स्टाल लगाकर अपने विचार साझा किया छ इस अवसर पर उद्यम लर्निंग फाउंडेशन से आए अतिथियों ने विद्यार्थियों को अध्ययन के साथ साथ ही नए उद्योगों और स्व-व्यवसाय के बारे में जानकारी दी गई छ तेजस्वी कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में उद्यमशीलता का आत्मविश्वास और 21 वीं सदी के कौशल विकसित करना है, ताकि वे जीवन की चुनौतियों के लिए बेहतर ढंग से तैयार हो सकें। कार्यक्रम में श्री लीलाधर बरखानिया, श्रीमती नेहा चौबे, श्रीमती साधना देवड़े एवं समस्त स्टाफ का महत्वपूर्ण योगदान रहा।



डॉ.भीमराव आम्बेडकर और उनके जीवन दर्शन

भारत के महान शख्स समाज सुधारक, दार्शनिक, अर्थशास्त्री, क्रांतिदूत, विधिवेता, राजनीतिज्ञ, दूरदर्शिता तथा भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉ भीमराव आंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 ई को मध्य प्रदेश के महु नामक स्थान पर हुआ। उनके पिता का नाम रामजी सकपाल जो ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे तथा माता का नाम भीमाबाई मुरबादकर थी। वे अपने माता-पिता के 14 वें संतान थे। आंबेडकर की प्रारंभिक शिक्षा दापोली और सतारा में हुई। 1907 में मुंबई के एल्फिंस्टन हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास किए। इन दिनों शिक्षा पाने में उन्हें बहुत से उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। यहां तक कि उन्हें सामान्य बच्चों की भांति शिक्षा नहीं मिली। कक्षा के बाहर पढ़ने को विवश हुए फिर भी हार नहीं मानी। पानी पीने के लिए उनपर उपर से धार गिराई जाती थी, फिर भी पढ़ाई रखी जारी थी। उच्च शिक्षा के लिए बड़ौदा नरेश सयाजी राव गायकवाड़ के द्वारा फेलोशिप प्रदान की गई। 1912 ई में मुंबई विश्वविद्यालय से बी ए पास किए। अछूतों को उस समय संस्कृत पढ़ने के लिए मनाही था इसलिए वे फारसी से बी ए पास किए। गायकवाड़ की कृपा से उच्च शिक्षा पाने के लिए वे विदेश गए। 1915 ईस्वी में कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका से स्नातकोत्तर की परीक्षा पास की। 1916 ई में इसी विश्वविद्यालय से पी एच डी की उपाधि भी मिली जिसका विषय था ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकेंद्रीकरण। वे लंदन स्कूल आफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में एम एस सी और डी एस सी तथा विधि संस्थान में बार एट लॉ की उपाधि प्राप्त किए। कोलंबिया से ही एल.एल.डी.और उस्मानिया विश्वविद्यालय से डी.लीट की उपाधि प्राप्त किए। वे भारत ही नहीं बल्कि विश्व के ऐसे एकमात्र व्यक्ति थे जो 9 भाषाओं के जानकार, 64 विषयों के ज्ञाता और 32 डिग्रियां उनके पास थी, जिनमें एक दुर्लभ डॉक्टर ऑफ ऑल साइंस थी। पढ़ाई पूरी होने के बाद गायकवाड़ नरेश के द्वारा प्रदत्त फेलोशिप के शर्तनामा के अनुसार बड़ौदा में वे सेना सचिव के पद पर कार्य किये किंतु जातीय विषमताओं और अस्पृश्यता के कारण उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यहां तक की उस कार्यालय में कार्यरत सभी कर्मचारी से लेकर चपरासी तक के हाथों हाथ न देकर बल्कि फाइलें भी फेंक कर दिया करते थे, जिससे उनका मन काफी व्यथित हुआ और वे नौकरी छोड़ दिए और इसके बाद उन्होंने संकल्प लिया सामाजिक परिवर्तन का। क्योंकि उस समय भारत में अछूतों की स्थिति अंग्रेजों की दास्ता से ज्यादा भयावह और बदतर थी सामाजिक शोषण व अस्पृश्यता का दंश झेलना। उन्होंने देश की दुर्दशा और जातीय विषमता,



भीम कुमार
गावां, गिरिडीह, झारखंड

उत्पीड़न, शोषण, अत्याचार, पाखंड, आडंबर, उच्च-नीच, भेद-भाव, अस्पृश्यता को देखकर चिंतन किया और देखे की इन सारी समस्याओं का फसाद, असमानता का कारण मनुवादी विचारधारा है, इसलिए उन्होंने 1927 ई में मनुस्मृति दहन किया ताकि देश में सामाजिक समरसता और न्याय स्थापित हो सके। डॉ भीमराव ने 20 मार्च 1927 ई. को हजारों दलितों के साथ महाराष्ट्र के महाड नामक स्थान पर सार्वजनिक चावदार तालाब से पानी पीने और उसके इस्तेमाल के लिए आंदोलन किए। सर्वप्रथम आंबेडकर ने अपने दोनों हाथों से तालाब का पानी पिया और फिर उनके सभी समर्थकों व सत्याग्रहियों ने अनुकरण कर पानी-पीने की पाबंदी को तोड़ डाला। इस पावन दिवस को सामाजिक सशक्तिकरण दिवस के रूप में मनाया गया।

जातिवाद का जहर घुला था, ऊंच-नीच का भेदभाव था।

पशुओं को पूजा जाता था, मल-मूत्र की पूजा होती थी।

यह कैसा पाखंड यहां पर जब मानव-मानव से छुआ जाता था।

उनका जन्म उस समय हुआ जब देश में विषम परिस्थितियों का दौर चल रहा था अस्पृश्यता, अंधविश्वास, ऊंच-नीच, जाति-भेद, वर्ण-भेद, आडंबर और पाखंड चरम सीमा पर था। एक तरफ सामाजिक न्याय के लिए जन आंदोलन चल रहे थे वहीं दूसरी तरफ देश की आजादी के लिए स्वतंत्रता संग्राम। अछूतों व दलितों का जीवन नारकीय हो गया था। यहां तक कि गले में हांडी और कमर में झाड़ू लटका दिया गया था। मानव समाज में अछूतों की अलग दुनिया बसा दी गई थी।

इधर वे इस स्थिति से चिंतित भी थे पशुता से भी बढ़कर हाथ कैसी उनकी जिंदगानी थी।

कमर में झाड़ू गले में हांडी, कुएं, तालाब का पानी पीना भी जबरदस्त पाबंदी थी।

कालाराम मंदिर में अछूतों का प्रवेश वर्जित था। 2 मार्च 1930 ई को डॉक्टर भीमराव आंबेडकर ने अपने 15000 समर्थकों के साथ कालाराम मंदिर में अछूतों को प्रवेश दिलाया। उस समय गजब की स्थिति थी, अछूतों का स्पर्श तो दूर की बात थी लोग दलितों की परछाई से भी छुआ जाते थे। 9 अप्रैल 1930 ई को महाराष्ट्र में रामनवमी का रथ खींचने के लिए जब सभी दलित तैयार हुए तो दलितों के हाथों रथ की खींचाई ना हो इसलिए कुछ स्वर्ण ने रामनवमी के झंडे व रथ को ही गायब कर दिया। उसी समय महात्मा गांधी ने गरीब, अभिवंचित, दलितों के बीच सामाजिक समरसता व न्याय स्थापित करने के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग किए किंतु गांधी जी द्वारा प्रयुक्त हरिजन शब्द समाज के बीच समता स्थापित करने के बजाय अछूतों के लिए विशेष तमगा लग गया जो आज भी निम्न वर्ग को इंगित करता है। डॉ आंबेडकर ने दलितों के सामाजिक और राजनीतिक उत्थान के लिए पृथक निर्वाचन के लिए सिफारिश की जिसे महात्मा गांधी को अच्छा नहीं लगा। और इसे लेकर यरवदा जेल में आमरण कर दिए। 24 सितंबर 1932 को इसी कम्युनल अवार्ड को लेकर गांधी जी और डॉ आंबेडकर के बीच पूना पैक्ट समझौता हुई जिसमें दलितों को पृथक निर्वाचन की जगह आरक्षित सीटों को बढ़ा दिया गया।

डॉ आंबेडकर का विवाह कम उम्र में ही 1906 ईस्वी में रमाबाई के साथ हुई। रमाबाई ने बाबा साहेब के साथ अपने दांपत्य जीवन का निर्वहन पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाई। कठिन परिस्थितियों में भी विचलित नहीं हुई। यहां तक कि बाबा साहेब की उच्च पढ़ाई के लिए हमेशा प्रोत्साहित करती रही। उनके हर संघर्ष व आंदोलन में साथ रही। गरीबी का आलम झेलती रही, मजदूरी कर साहेब को विदेश भेजी। पुत्र वियोग को भी झेली मगर हिम्मत न हारी। और साहेब को उनके मिशन पर कार्य करने दिया।

ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए 1930-32 के बीच तीन गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक और तीसरा गोलमेज सम्मेलन नवंबर से दिसंबर 1932 में अनिर्णय समाप्त हुआ। इन तीनों सम्मेलनों में डॉ. बाबा साहेब ने भाग लिया। सामाजिक न्याय और परिवर्तन के लिए अपने पुत्र को मृत सैया पर छोड़कर गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। 1935 में पत्नी रमाबाई की मृत्यु हो जाती है जिससे बाबा साहेब काफी टूट जाते हैं। डॉ आंबेडकर ने 1936 में मजदूरों के हित में स्वतंत्र मजदूर पार्टी

बनाई और अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए आवाज उठाई। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया जिसमें डॉ आंबेडकर को 296 सदस्यों में नहीं चुना गया इससे दलित वर्ग काफी क्षुब्ध थे किंतु बंगाल के एक दलित सदस्य जोगेंद्र मंडल जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे उन्होंने अपना इस्तीफा देकर बाबा साहेब को संविधान सभा के लिए मार्ग प्रशस्त किया और फिर वे तब संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष बने संविधान का निर्माण हुआ और भारतीय संविधान के जनक कहलाए। भारतीय संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा इसके निर्माण के लिए 114 बैठकें हुई तब जाकर संविधान पूर्ण रूप पाया। 1946 ई में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन हुआ जिसमें डॉ आंबेडकर को विधि एवं न्याय मंत्री बनाया गया। 1951 में महिला सशक्तिकरण के लिए हिंदू कोड बिल पारित नहीं होने के कारण तथा कांग्रेस से नीतिगत मतभेदों के कारण वह मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिए। 1952 के प्रथम आम चुनाव में डॉ आंबेडकर अपने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन पार्टी से 35 उम्मीदवार मैदान में उतरे थे जिनमें मात्र दो ही विजय हुए। खुद बाबा साहेब मुंबई उत्तरी भाग से चुनाव हार गए थे। 1952 के उप चुनाव में भी वे खड़े हुए किंतु इस बार भी उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। बाद में स्टेट काउंसिल में मुंबई को आवंटित 17 सीटों में से 1 पर चुनाव लड़े और निर्वाचित हुए।

बाबा साहेब ने सामाजिक न्याय व जागरूकता के लिए विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन किए जिनमें बहिष्कृत भारत, जनता, जाति विच्छेद आदि प्रमुख हैं। उनके स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद उनका विवाह सविता आम्बेडकर से दूसरी शादी कर दी गई जिससे उनके जीवन आपन का ख्याल रख सके एवं स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखा जाए। अपने जीवन में बाबा साहेब बहुत ही यातनाएं झेले जिस कारण वे पहले से ही संकल्प ले चुके थे कि मेरा जन्म भले ही हिंदू धर्म में हुआ हो परंतु मैं हिंदू धर्म में मारुंगा नहीं और उसने 14 अक्टूबर 1956 को 5 लाख समर्थकों के साथ नागपुर महाराष्ट्र के दीक्षाभूमि में बौद्ध धर्म स्वीकार किए। साथ ही अपने अनुयायियों को शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो का नारा दिया। उन्होंने कहा शिक्षा शेरनी का दूध है जो पियेगा वह दहाड़ेगा।

6 दिसंबर 1956 ई को वे अंतिम सांस लिए और इस तरह से उनका अंतिम संस्कार चैत्र भूमि नागपुर मुंबई में किया गया 1990 में भारत सरकार द्वारा मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया।

अगर अंबेडकर ना होते तो सोचों क्या होता। अंग्रेजों को शोषितों की दास्तां कौन सुनाता।

भले देश में हुकूमत अंग्रेजों का था शोषित के शासक सवर्ण समाज था वे समानता नहीं चाहते थे इसलिए शोषितों शिक्षा से वंचित रखते थे शूद्रों की आजादी के बीज



हरीश पांडेय
विचार क्रांति

भला कौन बोता। डॉ अंबेडकर ना होते तो

सोचो क्या होता।

अंबेडकर को सामंतों ने सभा में जाने से रोका। करके षड्यंत्र शोषितों को दिया था उन्होंने धोखा। कहने वालों ने यहां तक कहा खिडकी दरवाजे कर दो बंद अंबेडकर वहां ना जाए। भारत के पिछड़ों का दुखड़ा

अंग्रेजों का ना सुनाए।

भला हो अंग्रेजों का सभा में डॉ अंबेडकर को आमंत्रित किया मिला अवसर तो बाबा साहेब ने पीड़ितों का हक प्रस्तावित किया डॉ अंबेडकर सजग ना होते तो वंचितों का हमेशा के लिए सूर्य अस्त हो जाता। डॉ अंबेडकर ना होते तो सोचो क्या होता ,,,,?